10/10/19

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से अगली तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 31/10/19 को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर

31/10/19

वकील उभयपक्ष उप०, अप्रा० वादिगण आज भी समय चाहा। अब आखिरी अवसर दिया जाता है। अगामी तारीख पेशी पर अप्रा० वादी न कराने पर अप्रा० बंद है बंद हो जावेगी। पत्रावली दिनांक 14-11-19 को पेश हो

14/11/19

पत्रावली पेश हुई। कई बार आवाज लगवाई गई वादीगण एवं उनके वकील में से कोई हाजिर नहीं। अतः सब वादीगण कदम हाजरी एवं अदम पैरवी वादीगण में दाखिल किया जाता है पत्रावली कोडल मुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। हुक्म सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)